न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 30/2021 (2021/58)

1 लाडा देवी पत्नी नाथूलाल जाति तेली निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर मृतक बजाय उसके वारिसान:-

1/1. जितेन्द साहू पुत्र नाथूलाल।

1/2. शैतान साहू पुत्र नाथूलाल।

1/3. ममता साहू पुत्री नाथूलाल।

1/4. नीलू साहू पुत्री नाथूलाल।

1/5. विष्णु साहू पुत्री नाथूलाल।

समस्त जाति तेली निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---वादीगण

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र पोखर जाति तेली निवासी अजमेर रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास केकडी जिला अजमेर।

2.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

3.श्रीमान उप पंजीयक महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 24.8.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया, कि कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर मे स्थित है आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा संख्या	रकबा	रकबा
590-534	237	2.38	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 2.38हैक्टर	

उपरोक्त वर्णित आराजी वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व, आधिपत्य मे चली आ रही है राजस्व रेकार्ड कि अनुसार आराजी मे वादीया का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा है इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 आराजी के संयुक्त मालिक व काबिज है तथा संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है एवं संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाजायज उद्देश्य मे कामयाब हो जाता है तो वादीया को अजहद क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मुल्याकन किया जाना असंभव है एवं अनेकानेक विवादो की उत्पत्ति हो जायेगी तथा वादीया खर्चे से जरबार हो जायेगी इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है वाद वर्णित आराजीयात मे वादीया का 1/4 हिस्सा अनुसार यानि मिट्स एण्डस बाउण्डस के आधार पर विधिक रूप से बटवारा किया जाकर अलग राजस्व लगान कायम किया जाकर राजस्व नक्शे मे तरमीम किया जाना एवं माल गुजारी कायम किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है अतः वादीया का आराजी मे 1/4 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्से के अनुसार आराजी का विधिवत बटवारा किया जावे एवं अलग–अलग मौके पर नाप चौप कर संभलाया जावे तथा अलग से राजस्व रिकोर्ड बनाया जावे एवं राजस्व नक्शे में भी अलग–अलग तरमीम की जावे एंव माल गुजारी अलग–अलग कायम की जाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजुद पेश नही किये जाने पर जवाब बंद किया गया। शहादत वादी में गवाह जितेन्द्र साहू ने शपथ पत्र पेश किया जिसे शा0मि0 किया गया। जिरह हेतु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को बार–बार आवाजें दिलवाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादी में श्री जितेन्द्र के बयान कराये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा अब कोई शहादत पेश नही किये जाने से शहादत वादी बंद कि गई। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी–प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। वाद वर्णित आराजीयात ग्राम/कस्बा केकडी, के खाता संख्या नया–पुराना 590–534 के खसरा संख्या 237 रकबा 2.38हैक्टर में वादीया(फौत होने से जरिये वारिसान) का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा है अतः तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि वे स्वंय मौके पर जाकर कस्बा केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 590–534 के खसरा संख्या 237 रकबा 2.38हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार कर प्रत्येक का हिस्सा अलग–अलग रंगों से दर्शित करते हुये। राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित प्रपत्र में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी,

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedur Code Appndix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम केकड़ी**

प्रारम्भिक डिकरी

व इजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

राजस्व वाद संख्या 48/2017 (2017/00072)

1. लाडा देवी पत्नी नाथूलाल जाति तेली निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर मृतक बजाय उसके वारिसानः–
   1/1. जितेन्द साहू पुत्र नाथूलाल।
   1/2. शैतान साहू पुत्र नाथूलाल।
   1/3. ममता साहू पुत्री नाथूलाल।
   1/4. नीलू साहू पुत्री नाथूलाल।
   1/5. विष्णु साहु पुत्री नाथूलाल।

समस्त जाति तेली निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

––वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र पोखर जाति तेली निवासी अजमेर रोड कॉपोरेशन बैंक के पास केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,53,188,209 राज0 काश्तकारी अधि0

निर्णयः–24.8.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री इमदाद अली, मिरलीधर शर्मा वकील वादी व श्री हेमन्त जैन वकील प्रतिवादी मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद ग्राम/कस्बा केकडी, के खाता संख्या नया–पुराना 590–534 के खसरा संख्या 237 रकबा 2.38हैक्टर में वादीया(फौत होने से जरिये वारिसान) का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा है अतः तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि वे स्वंय मौके पर जाकर कस्बा केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 590–534 के खसरा संख्या 237 रकबा 2.38हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार कर प्रत्येक का हिस्सा अलग–अलग रंगों से दर्शित करते हुये। राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित प्रपत्र में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। प्रारम्भिक डिकरी पर्चा जारी किया जाता है।

चीज ....मुबलिक...बाबत्...............................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.8.2022 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	——	——	मुतफरिक	——	——
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 48 / 2017(2017 / 00072)

1. लाडा देवी पत्नि नाथूलाल तेली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर मृतक बजाय उसके वारिसान –
   1/1 जितेन्द्र साहू पुत्र नाथूलाल
   1/2 शैतान साहू पुत्र नाथूलाल
   1/3 ममता साहू पुत्री नाथूलाल
   1/4 नीलू साहू पुत्री नाथूलाल
   1/5 विष्णु साहू पुत्री नाथूलाल
   समस्त जाति तेली निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र पोखर तेली निवासी अजमेर रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनिय

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री मुरलीधर शर्मा, वादी अधिवक्ता
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 01/12/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया ,कि कस्बा केकड़ी तहसील केकडी की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 590–534 (2076 से स्थायी के खाता संख्या 2191) के खसरा नम्बर 237 रकबा 2.38 हैक्ट. किस्म बारानी 2 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 24.08.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार हैः–

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	रामस्वरूप पुत्र पोखर कौम तेली सा0देह खातेदार	237 / 1	1.785	बा.2
		किता 1	रकबा 1.785 है0	
2	जितेन्द्र, शैतान, ममता, नीलू, विष्णु पि. नाथूलाल कौम तेली सा0देह खातेदार	237 / 2	0.595	बा.2
		किता 1	रकबा 0.595 है0	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी का हिस्सा गुलाबी रंग व प्रतिवादी का हिस्सा नीला रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान रामस्वरूप पुत्र पोखर, जितेन्द्र पुत्र नाथूलाल तेली, शैतान पुत्र नाथूलाल तेली मोके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। पक्षकारान ने राजस्व रिकोर्ड अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	रामस्वरूप पुत्र पोखर कौम तेली सा0देह खातेदार	237/1	1.785	बा.2
		किता 1	रकबा 1.785 है0	
2	जितेन्द्र, शैतान, ममता, नीलू, विष्णु पि. नाथूलाल कौम तेली सा0देह खातेदार	237/2	0.595	बा.2
		किता 1	रकबा 0.595 है0	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करें। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना -अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner